न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 58/2013 दायर दिनांक–05.03.2013

1. महाबीर सिंह पुत्र भंवर सिंह
2. गिरधारी सिंह पुत्र भंवर सिंह (मृतक)
   2/1 सुशिला कंवर बेवा स्व0 गिरधारी सिंह
   2/2 शिम्भु सिंह पुत्र गिरधारी सिंह
   2/3 कंचन कंवर पुत्री गिरधारी सिंह
   2/4 संजू कंवर पुत्री गिरधारी सिंह
3. शंकर सिंह पुत्र भंवर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

1. गेंद कंवर पत्नी भंवर सिंह
2. गजेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण चिराणा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
3. भगवानाराम पुत्र बनजी
4. जगदीश प्रसाद पुत्र बनजी
5. मालीराम पुत्र बनजी
6. प्रभुराम पुत्र बनजी
7. मदनलाल पुत्र बनजी समस्त जाति ब्राह्म्ण निवासीगण चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
8. शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
9. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रतिवादी :– श्री किशोर कुमार जांगिड़

दावा बाबत : घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–4.11..2024

वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:– वाके ग्राम चिराना की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 103, 104, 105 रकबा क्रमशः 0.05, 0.51, 1.00 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है0 तथा भूमि खाता संख्या 80 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 101, 102, 109 रकबा क्रमशः 2.18, 0.01, 1.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.40 है0 स्थित है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा वाद पत्र की मद संख्या 1 के अनुसार है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 7 का 1/2 हिस्सा है जिसके संबंध मे कोई विवाद नही है। भूमि विरासत से आई है। वादीगण कमाने खाने के लिए बाहर अलग अलग जगह नौकरी करते है। वर्ष में 2–3 दफा गांद आते है तथा अपनी माता प्रतिवादी नं0 1 को खर्चा वगैरह देते है तथा परिवार भी वादीगण का चिराना में ही रहता है। वादीगण प्रतिवादी नं0 1 के भरण पोषण का भी पूर्ण ख्याल रखते है। किसी प्रकार की कौताही नही करते है। जिससे प्रतिवादी नं0 1 संतुष्ट रहती है। प्रतिवादी नं0 2 गांव में ही रहता है कुछ काम धंधा नही करता है। [illegible] नं0 2 वादीगण की अनुपस्थिति में प्रतिवादी नं0 1 को बहला फूसलाकर उसका हिस्सा खाता [illegible] 80 [illegible] 1 का अपने नाम हक त्याग अपने पक्ष में करवा लिया जबकि प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से में सभी वा[illegible] का हक है व वादीगण को अपने अधिकारों से वंचित करने का अधिकार नही है। [illegible] के अधिकारों के विपरी[illegible] अबनिसियों वोइड है तथा खातेदार का [illegible]धिकारों का त्याग कानूनन [illegible] जा सकता उक्त हक त्याग के रहने से वादीगण को सख्त हकतल्फी पैदा होती है। इसलिए वाद घोषणा का करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

32

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम चिराना की सरहद मे स्थित भूमि खाता संख्या 81 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 103, 104, 105 रकबा क्रमशः 0.05, 0.51, 1.00 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है0 तथा भूमि खाता संख्या 80 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 101, 102, 109 रकबा क्रमशः 2.18, 0.01, 1.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.40 है0 में प्रतिवादी नं0 1 का हिस्सा विधि विरूद्व बिना खातेदार के के हित में हक त्याग प्रतिवादी नं0 2 के पक्ष में किया है अथवा करवाने की फिराक में है। जिसे अवैध घोषित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 को बराबर बराबर का खातेदार घोषित किया जाकर इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 का खाता संख्या 81 में दर्ज हिस्सा यथावत रखा जावे।

प्रतिवादी नं0 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा नही डाले ना ही किसी अन्य से डलवाये उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 की ओर से वकील श्री आशीष बुगालिया, किशोर कुमार जांगिड़ व प्रदीप झाझड़िया ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी सं0 01 व 02 ने जबाब दावा पेश नही किया तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। शहादत वादी हेतु महावीर सिंह ने उपस्थित होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजात् से वाद वादीगण साबित होता है। फलस्वरूप प्रतिवादी 01 व 02 को विवाद्ग्रस्त भूमि के संबंध में मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाद वादीगण आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम चिराना की सरहद मे स्थित भूमि खाता संख्या 81 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 103, 104, 105 रकबा क्रमशः 0.05, 0.51, 1.00 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है0 तथा भूमि खाता संख्या 80 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 101, 102, 109 रकबा क्रमशः 2.18, 0.01, 1.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.40 है0 भूमि के संबंध में मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 04.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:55 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 58/2013 **(महावीर सिंह आदि बनाम गेंद कंवर आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 4.11.2024 निर्णय अनुसार वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम चिराना की सरहद मे स्थित भूमि खाता संख्या 81 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 103, 104, 105 रकबा क्रमशः 0.05, 0.51, 1.00 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है0 तथा भूमि खाता संख्या 80 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 101, 102, 109 रकबा क्रमशः 2.18, 0.01, 1.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.40 है0 भूमि के संबंध में मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.11.2024 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:55 IST
Reason: SelfAttested